



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 869) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

18 मार्च 2019

सं० 2561—बाबा मधेश्वर नाथ महादेव मन्दिर, मधुश्रवा, अंचल—कलेर, थाना—मेंहदिया, जिला—अरवल एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इस न्यास की व्यवस्था के लिए पर्षद द्वारा वर्ष 2009 में एक न्यास समिति का गठन किया गया था, किन्तु वर्तमान में वे लोग सक्रिय नहीं हैं। इस न्यास की भूमि पर अवैध कब्जा कर मेला का आयोजन किया जाता है और अतीत में मठ की भूमि के अवैध बिक्री/दखल को लेकर दो महन्तों की हत्या भी हो चुकी है। श्री महंत अखिलेश्वर भारती द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ एक फोटोप्रति दिनांक—26.12.2016 जो अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल द्वारा 11 लोगों की सूची के साथ न्यास समिति गठित करने हेतु जिला पदाधिकारी, अरवल को भेजा गया था, दाखिल किया गया है। इसके आलोक में पर्षद द्वारा दिनांक—16.09.2016, 16.11.2017, 18.07.2018, एवं 20.02.2019 जिला पदाधिकारी, अरवल एवं अंचलाधिकारी, कलेर से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था, किन्तु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। न्यास की बची हुयी जमीन पर भी अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त परिस्थिति पर विचारोपरान्त न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन के लिए एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रशासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए बाबा मधेश्वर नाथ महादेव मन्दिर, (मधुश्रवा मठ) मधुश्रवा, अंचल—कलेर, थाना—मेंहदिया, जिला—अरवल की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “बाबा मधेश्वर नाथ महादेव मन्दिर, (मधुश्रवा मठ) मधुश्रवा, जिला—अरवल” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु गठित न्यास समिति का नाम “ बाबा मधेश्वर नाथ महादेव मन्दिर, (मधुश्रवा मठ) मधुश्रवा, न्यास समिति

जिला-अरवल," होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संरक्षण का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सुव्यवस्था करना होगा।
3. न्यास समिति न्यास के परम्परा के अनुसार धार्मिक आचारों का पालन सुनिश्चित करेगी।
4. न्यास में प्राप्त होनेवाली समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा की जायेगी। बैंक खाता का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। व्यय के अनुसार राशि निकालकर काम किया जायेगा।
5. न्यास के लेखा का संधारण सत्यापित पंजी में होगा। आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति का प्रमुख दायित्व होगा जिससे कि समिति का कार्य परिलक्षित हो सके और जनता का विश्वास बना रहे।
6. न्यास समिति के सचिव द्वारा बैठकों की कार्यवाही पुस्तिका संधारित की जायेगी तथा कोषाध्यक्ष न्यास के लेखा के संधारण के लिए उत्तरदायी होंगे।
7. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, बजट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक् रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
8. कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझे जाने पर, इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् की अनुमोदन के लिए भेजेगी।
9. न्यास समिति का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि न्यास से लाभ उठाता हुआ पाये जायेगा या आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो न्यास समिति की सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
10. न्यास समिति में कोई पद आकस्मिक दुर्घटना, त्याग-पत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर उस पर नियुक्ति पर्षद् करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो समिति के अध्यक्ष या सचिव इसकी सूचना पर्षद् को देंगे ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।
12. न्यास समिति न्यास के किसी भू-खंड का अन्य संक्रमण या किसी भी तरह का हस्तान्तरण नहीं करेगी।
13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
14. इस योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास समिति का सदस्य मनोनित किया जाता है :-

- | | |
|---|--------------|
| (1) डॉ० अरुण कुमार, सांसद, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र | — अध्यक्ष |
| (2) श्री रविन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा, अरवल | — उपाध्यक्ष |
| (3) अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल, | — कोषाध्यक्ष |
| (4) महंत अखिलेश्वर भारती, मधुश्रवा मठ, अरवल | — सचिव |
| (5) श्रीमती विमला कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत-पहलेजा, अरवल | — सदस्य |
| (6) श्री मनीष पाठक, पुजारी | — सदस्य |
| (7) श्री तपेश्वर राम, ग्राम+पो०-लोदीपुर, अरवल | — सदस्य |

न्यास समिति का कार्यकाल आदेश की तिथि से 05 वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा संतोषप्रद पाये जाने पर निरन्तरता कायम रहेगी। उक्त समिति यदि आवश्यकता महसूस करे तो अन्य 04 व्यक्तियों का नाम भविष्य में पर्षद् के पास अनुमोदन हेतु भेजने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 869-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>